राजस्थान सरकार

सत्यमेव जयते

वन विभाग

नागरिक अधिकार पत्र

नागरिक अधिकार पत्र

प्रस्तावना :

पृथ्वी पर मानव का अस्तित्व एवं खुशहाली प्राकृतिक सम्पदा के संरक्षण, सुनियोजित विकास तथा विवेकपूर्ण उपयोग पर आधारित हैं वृक्ष, वन एवं वन्य जीव हमारी प्राकृतिक धरोहर है। इनके संरक्षण से प्राकृतिक सम्पदा, मृदा एवं जल का भी संरक्षण सुनिश्चित होता है। राज्य में स्थानीय लोगों के सक्रिय सहयोग से वन विभाग वन भूमि, सरकारी पड़त भूमि, सामुदायिक भूमि तथा निजी व्यक्तियों की भूमि पर खड़े वृक्षों का संरक्षण करने एवं ऐसी भूमियों को वृक्षारोपण कर विकसित करने के लिए प्रयासरत है। सब लोगों के समन्वित प्रयासों का ही सुफल है कि राज्य में वर्ष 1993 से 1999 के मध्य 982 वर्ग किलोमीटर वृक्षाच्छादित क्षेत्र में अभिवृद्धि उपग्रह सर्वेक्षण के आधार पर आंकी गई है।

वनों के संरक्षण एवं विकास में स्थानीय लोगों को भागीदार बनाने तथा विभागीय कार्य को लोकपरक एवं पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से वन विभाग द्वारा 4882 सेअधिक 'ग्राम्य स्तरीय वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियों' का गठन किया गया है। ऐसी समितियाँ राज्य के प्रत्येक ग्राम में बने यह विभाग का लक्ष्य है। वर्ष 1996 से प्रारम्भ की गई 'जनता वन योजना' के अन्तर्गत गठित समितियाँ विभाग से निर्धारित वित्तीय प्रावधान प्राप्त कर अपने स्तर पर क्षेत्र की आवश्यकता, लाभ एवं उपयोग को दृष्टिगत रखते हुए वृक्षारोपण का कार्य सम्पादित कर रही है।

यह नागरिक अधिकार पत्र आम जनता को इस अपेक्षा से सौंपा जा रहा है कि इससे जानकारी का लाभ उठाकर वे वन एवं वन्य जीव संरक्षण तथा वन विकास के कार्यो में अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होकर तथा अपनी सहभागिता बढाकर वृक्ष संरक्षण एवं संवर्धन कार्य को जन आन्दोलन का स्वरूप देने में सार्थक भूमिका निभायेंगे।

हमारा उद्देश्य :

1. वन भूमि, राजकीय पड़त भूमि, सामुदायिक भूमि तथा निजी व्यक्तियों को भूमि (अकृषि योग्य) पर खडे वृक्षों को संरक्षण प्रदान करना तथा वृक्षारोपण एवं जल संरक्षण कार्य कर इन्हें विकसित करना।
2. मृदा एवं जल के संरक्षण के प्रभावी उपाय करना।
3. वृक्षारोपण से गाँवों को ईधन, चारे के सम्बन्ध में आत्मनिर्भर बनाना।
4. वन सम्पदा एवं वन भूमि की सुरक्षा करना।
5. वन्य जीवों का संरक्षण प्रदान करना।
6. परिपक्व वृक्षारोपण क्षेत्रों का स्वीकृत कार्य योजना के अनुसार विदोहन करना।
7 वन संरक्षण एवं विकास कार्य में व्यापक जन सहयोग से स्थानीय लोगों को प्राप्त लाभ/आय में भागीदार बनाकर वृक्षारापेपण को जन आन्दोलन बनाना।

विभाग की प्रशासनिक व्यवस्था :

विभाग के पास एक व्यापक एवं सुसंगठित प्रशासनिक ढाँचा है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विभाग के विभागाध्यक्ष हैं इनके अलावा प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त वनों के सीमांकन एवं बन्दोबस्त कार्य की देखरेख स्वतन्त्र रूप से करते हैं तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन जीव प्रतिपालक वन्य जीवों के संवर्धन, सुरक्षा से सम्बन्धित मामले देखते हैं एवं

भारतीव वन्य जीव अधिनियम 1972 के तहत मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक घोषित है तथा अधिनियम की पालना सुनिश्चित करना प्रमुख जिम्मेदारी हैतथा उनके अधीनस्थ कार्यालयों के नियंत्रक अधिकारी है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रशिक्षण, अनुसंधान, प्रसार एवं शिक्षा, राजस्थान, जयपुर बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना के पर्यवेक्षण एवं प्रबोधन का कार्य, परियोजना सूत्रीकरण, प्रशिक्षण, प्रसार एवं शिक्षा,अनुसंधान, कम्यूनिकेशन, वर्कशॉप, सेमीनार आदि के आयोजन कराने सम्बन्धी कार्यो के सुचारू रूप से संपादन के नियंत्रक अधिकारी हैं।

प्रधान मुख्य वन संरक्षकों के अधीन अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन संरक्षक स्तर के अधिकारी पदस्थापित हैं जो विशिष्ठ योजनाओं/कार्यो के नियंत्रण का दायित्व निभाते हैं।

मुख्य वन संरक्षक वन मण्डलों का नियंत्रक होता है। वन मण्डलों में जिला स्तरीय अधिकारी उप वन संरक्षक/मण्डल वन अधिकारी पदस्थापित होते हैं।

प्रत्येक वन मण्डल के अधीन 5–7 रेंज होती है। रेंज का प्रभारी रेंज आफीसर (क्षेत्रीय वन अधिकारी) होता है।

प्रत्येक रेंज नाकों में विभक्त होती है जिसका प्रभारी वनपाल/सहायक वनपाल होता है।

प्रत्येक नाके के अधीन बीट होती है जिसका प्रभारी वनरक्षक होता है। इस प्रकार बीटविभाग की सबसे छोटी इकई्र होती है।

विकास योजनाओ/कार्यो के निष्पादन हेतु नाकों एवं बीट के स्थान पर कार्य स्थल प्रभारी की व्यवस्था भी प्रचलन में है।

जन साधारण से सम्बन्धी कार्यो तथा इनके सम्बन्ध में किन दस्तावेजों सहित किस किस से सम्पर्क किया जाना है, उनका विवरण निम्नानुसार है :

क्र. सं.	कार्य का विवरण	कार्य सम्बन्धी जानकारी एवं प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेजों का विवरण		सम्बन्धित अधिकारी जिसको आवेदन करना है/सम्पर्क करना है।
	वन संरक्षण एवं सुरक्षा			
1	वन भूमि में गैर वानिकी उपयोग हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत प्रस्ताव प्रेषित करना।	1	अनारक्षण प्रस्ताव का प्रपत्र (सात प्रतियों में)	अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन संरक्षक एवं सुरक्षा, नोडल अधिकारी राजस्थान, वन भवन, जयपुर।
		2	जी.टी.शीट नक्शा जिसमें वन सीमा दर्शाई गई हो।	
		3	खसरा नक्शा जिसमें वन सीमा मार्क हो।	
		4	खनन प्रकरणों में लीज की प्रति।	
		5	वन भूमि के बदले समतुल्य गैर वन भुमि उपलब्ध करना।	
		6	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की लागत वहन करने हेतु स्वीकारोक्ति।	
		7	एन.वी.पी. हेतु हलफनामा।	
2	पारपत्र (ट्रांजिट पास) प्राप्त करने हेतु। (1) केवल वन क्षेत्र से प्राप्त वन उपज के लिए (राज्य के अन्दर)	1	वन उपज प्राप्ति स्त्रोत का प्रमाण।	मण्डल वन अधिकारी/उप वन संरक्षक (संबंधित)
		2	सम्बन्धित वन अधिकारी सत्यापन रिपोर्ट। पारपत्र में निम्नलिखित विवरण समाविष्ट होगा–	
		क	व्यक्तियों जिन्हें पारपत्र स्वीकृत किया गया है, के नाम।	
		ख	उसके द्वारा आवरणित वन उपज की मात्रा एवं वजन।	
		ग	गांव, तहसील व जिला जिसमें वह व्यक्ति निवास करता हो, उसका नाम।	
		घ	स्थान, जिससे या को वह वन उपज वहन की जानी है। रास्ते एवं चौकियों के नाम जिनके माध्यम से वन उपज वहन की जानी है।	
		च	अवधि जिसके लिए पारपत्र मान्य है।	
			निर्धारित आवेदन शुल्क सहित जो विद्यमान में 1/– रुपया है।	
	(2) राज्य के बाहर परिवहन हेतु	1	राज्य के बाहर पारपत्र हेतु अनुज्ञा–पत्र जारी करना।	संबंधित मवअ/उवंस के द्वारा मुवसं एवं प्रमुवसं के माध्यम से राज्य सरकार।
	(3) राजस्व क्षेत्र से प्राप्त वन उपज के लिये	1	काश्तकारो, निजी व्यक्तियों की खातेदारी की भूमि पर खड़े सफेदा, शीशम, अरडू, सूबबूल, देशी बबूल, विलायती बबूल तथा इजराईली बबूल के वृक्षों की उपज को राज्य की सीमा में परिवजन के लिये परिवजन पारपत्र करने की कोई आवश्यकता नहीं है।	
		2	अन्य प्रजातियों की उपज को राज्य सीमा मे परिवहन के लिए पारपत्र की आवश्यकता है।	संबंधित राजस्व अधिकारी अपने क्षेत्राधिकार के लिये।
		3	प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा (विलायती बबूल) से बनाये गये चारकोल को राज्य के अन्दर परिवहन के लिए छूट	

क्र. सं.	कार्य का विवरण	कार्य सम्बन्धी जानकारी एवं प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेजों का विवरण		सम्बन्धित अधिकारी जिसको आवेदन करना है/सम्पर्क करना है।
3	गैर वन भूमि पर खनन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना।	1	आवेदन पत्र	प्रादेशिक मण्डल वन अधिकारी/उप वन संरक्षक (संबंधित)
		2	क्षेत्र का (जी.टी. शीट नक्शा) जी.पी.एस. रिडिंग	
		3	क्षेत्र का खसरा नक्शा	
		4	क्षेत्र की जमा बन्दी	
4	आरा मशीन हेतु अनुज्ञा पत्र (लाईसेंस) प्राप्त करना। (हैण्डीक्राफ्ट हेतु 24'' से कम)	1	आवेदन पत्र	मण्डल वन अधिकारी/उप वन संरक्षक (संबंधित) (राज्य सरकार की अधिसूचना) दि 4.2.06 द्वारा आरामशीन नियमों के संशोधित किया जाकर 24'' एवं इससे कम साईज की वुडन (Wooden) हैण्डीक्राफ्ट आरामशीनों को लाईसेंस देने हेतु एक कमेटी का प्रावधान किया गया है। उक्त कमेटी की अभिशंषा पर हैण्डीक्राफ्ट आरामशीनों को संबंधित मण्डल वन अधिकारी/उप वन संरक्षक द्वारा लाइसेंन्स जारी किये जाते हैं।
		2	उद्योग विभाग में पजीकृत प्रमाण–पत्र	
		3	वन उपज के स्त्रोत का प्रमाण। निर्धारित आवेदन शुल्क एवं निर्धारित लाइसेंस शुल्क सहित। विद्यमान में आवेदन शुल्क 25/– रु. तथा लाईसेंस शुल्क 250/– रु. है।	
5	आरा मशीन एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित करना।	1	आवेदन पत्र	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय का प्रत्रांक 6674–6824 दिनांक 25.7.06) सम्बन्धित उप वन संरक्षक की अनुशंषा पर स्थानान्तरित करने के आदेश जारी होंगे।
		2	मूल अनुज्ञा पत्र	
		3	शपथ पत्र	
		4	नये स्थान का प्रमाणित नक्शा	
		5	किराया नामा/जमीन के कागजात	
6	वन अपराध प्रकरण दर्ज कराना।		एक शिकायत पत्र लिखकर प्रस्तुत करें जिसमें अपराध गठित होने की जानकारी दी गई हो एवं यदि सम्भव हो तो अपराध गठित होने के सम्बन्ध में गवाह/सबूत की जानकारी के साथ प्रस्तुत करें	संबंधित नाका इन्चार्ज/क्षेत्रीय वन अधिकार/प्रभारी गश्तीदल
	वन्य जीव संरक्षण			
7	फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले रोजड़ों को मारने की स्वीकृति		प्रार्थी द्वारा आवेदन पत्र जिसमें निम्न बिन्दुओं का उल्लेख होगा :–	वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम की धारा 11(1) बी के अन्तर्गत संबंधित म.व.अ. /उवसं एवं क्षेत्रीय वन अधिकारी को स्वीकृति देने हेतु प्राधिकृत किया हुआ है। समस्त जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक/उप खण्ड अधिकारी/पुलिस उप अधिक्षक/सहायक वन संरक्षक/विकास अधिकारी/नायब तहसीलदार को अपने क्षेत्राधिकार में प्राधिकृत अधिकारी/नायब तहसीलदार कोअपने क्षेत्राधिकरी में प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है।
		1	क्षेत्र जहाँ की स्वीकृति दी जानी है	
		2	रोजड़ों की संख्या।	
		3	रोजड़ों को मारने का कारण	
8	फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले जंगली सूअरों को मारने की स्वीकृति		प्रार्थी द्वारा आवेदन पत्र जिसमें निम्न बिन्दुओं का उल्लेख होगा :–	अधिनियम की धारा 11(1) बी के अन्तर्गत अभ्यारण्य/राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से 15 कि.मी. की परिधि में अपने अपने अधिकारी क्षेत्र में संबधित उप वन संरक्षक उप वन संरक्षक, कोटा, बूंदी, बारां, सवाई माधोपुर, करौली, पाली, सिरोही, उदयपुर, चित्तौडगढ, झालावाड़, अलवर, जयपुर, डूंगरपुर, जालौर, बीकानेर तथा श्रीगंगानगर को स्वीकृति देने हेतु प्राधिकृत किया हुआ है।
		1	क्षेत्र जहाँ की स्वीकृति दी जानी है।	
		2	जंगली सूअरों की संख्या	
		3	जंगली सुअरों को मारने का कारण।	
9	लाल मुंह के बन्दर को पकड़नां		प्रार्थी द्वारा आवेदन किया जावेगा जिसमें बन्दरों के पकड़ने का क्षेत्र एवं विस्तृत कारण दर्शाये जाने चाहिये।	वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की धारा 11 (1) बी के अन्तर्गत समस्त जिला कलेक्टर्स को स्वीकृति देने हेतु प्राधिकृत किया हुआ है।

क्र. सं.	कार्य का विवरण	कार्य सम्बन्धी जानकारी एवं प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेजों का विवरण			सम्बन्धित अधिकारी जिसको आवेदन करना है/सम्पर्क करना है।
10	राष्ट्रीय उद्यान/वन्य जीव अभ्यारण्यों में प्रवेश	राज्य के राष्ट्रीय उद्यानों/वन्य जीव अभ्यारण्यों में प्रवेश हेतु निर्धारित शुल्क दिया जाकर। प्रवेश शुल्क की विद्यमान में निर्धारित दरें निम्नानुसार हैं :–			सम्बन्धित प्रभारी अधिकारी/राष्ट्रीय उद्यान/वन्य जीव अभ्यारण्य
		अ	रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान व सरिस्का		
		1	भारतीय पर्यटक	रु. 25/–	
		2	विदेशी पर्यटक	रु. 200/–	
		3	छात्र (भारतीय)	रु. 5/–	
		ब	अन्य अभ्यारण्यों के लिये प्रवेश शुल्क		
		1	भारतीय पर्यटक	रु. 10/–	
		2	गैर भारतीय पर्यटक	रु. 80/–	
		3	छात्र (भारतीय)	रु. 2/–	
		इनके अलावा वाहन अन्दर ले जाने, नौकायन, कैंपिंग हेतु दर निर्धारित है जिसकी जानकारी सम्बन्धित अभ्यारण्य प्रभारी से की जा सकती है।			
11	राज्य के पाँच जन्तुआलयों में प्रवेश	राज्य के पाँच जन्तुआलयों–जयपुर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर एवं बीकानेर में प्रवेश निर्धारित शुल्क दिया जाकर किया जा सकता है। प्रवेश दरें राज्य सरकार के निर्देशानुसार परिवर्तित होती रहती है। प्रवेश की विद्यमान में निर्धारित दरें निम्नानुसार है''			संबंधित प्रभारी अधिकारी, जन्तुआलय
		अ	जन्तुआलय, जयपुर		
		1	सामान्य दर्शक	रु. 10/–	
		2	विदेशी दर्शक	रु. 100/–	
		3	शैक्षणिक संस्थाओं के विद्यार्थियों हेतु (प्रधानाध्यापक के आवेदन पर अथवा परिचय पत्र के दिखाने पर)	रु. 5/–	
		4	कैमरा फीस	रु. 25/–	
			विडियो कैमरा फीस	रु. 100/–	
		ब	अन्य जन्तुआलय		
		1	सामान्य दर्शक	रु. 7/–	
		2	शैक्षणिक संस्थाओं के विद्यार्थियों हेतु (प्रधानाध्यापक के आवेदन पर अथवा परिचय पत्र के दिखाने पर)	रु. 2/–	
		3	विदेशी दर्शक	रु. 50/–	
		4	कैमरा फीस	रु. 10/–	
		5	विडियो कैमरा फीस	रु. 40/–	

क्र. सं.	कार्य का विवरण	कार्य सम्बन्धी जानकारी एवं प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेजों का विवरण	सम्बन्धित अधिकारी जिसको आवेदन करना है/सम्पर्क करना है।
		स डीयर पार्क (मृग वन) चित्तौड़गढ़ 1 विदेशी दर्शक — रु. 20/- 2 भारतीय दर्शक — रु. 5/- 3 विद्यार्थी — रु. 2/- 4 वाहन (1) चार पहिया (प्रति वाहन) — रु. 25/- (2) दुपहिया (प्रति वाहन) — रु. 5/- अधिक जानकारी सम्बन्धित चिड़ियाघर प्रभारी से प्राप्त की जा सकती है। इनके अलावा वाहन अन्दर ले जाने, नौकायन, कैपिंग हेतु दर निर्धारित है जिसकी जानकारी सम्बन्धित अभ्यारण्य प्रभारी से की जा सकती है।	
12	राष्ट्रीय उद्यान/वन्य जीव अभ्यारण्यों के अनुसंधान की स्वीकृति	अनुसंधानकर्ता/अनुसंधान संस्था द्वारा आवेदन देना होगा जिसमें अनुसंधान का विषय, संरक्षित क्षेत्र का विवरण अनुसंधान करनेकी अवधि अंकित करनी होगी।	वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 12 बी के अन्तर्गत प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन जीव प्रतिपालक द्वारा स्वीकृति दी जावेगी।
13	राष्ट्रीय उद्यान/वन्य जीव अभ्यारण्यों के फिल्म शूटिंग की स्वीकृति	फिल्म शूटिंग के अन्तर्गत आवेदन देना होगा जिसमें शूटिंग किये जाने वलो स्थान का विवरण, शूटिंग की स्क्रिप्ट, शूटिंग की अवधि, प्रयोग में लाये जाने वाले कैमरों का विवरण आदि अंकित होना चाहिये। विद्यमान में विडियो केमरो एव मूवी कैमरा की निर्धारित दरें निम्नानुसार हैं : 1 फीचर फिल्म के अलावा अ भारतीय कम्पनी के लिये — रु.-3000/- प्र.दि. ब विदेशी कम्पनी के लिये — रु. 5000/- प्र.दि. 2 फीचर फिल्म हेतु — रु. 20000/- प्र.दि अधिक जानकारी राष्ट्रीय उद्यान/अभ्यारण्य प्रभारी से की जा सकती है।	वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 28(1) बी के अंतर्गत प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक द्वारा दी जावेगी।
14	I–राष्ट्रीय उद्यान/वन्य जीव अभ्यारण्य की 10 कि.मी. की परिधि में आने वाले ग्रामों के निवासियों को शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी करने के लिये अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी करना।	शस्त्र अनुज्ञा पत्र के लिये अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के समबन्ध मेंआवेदन करेगा जिसमे ग्राम का विवरण एवं उसकी राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य से दूरी के सम्बन्ध में विशेष रूप से उल्लेख करेगा।	अनापत्ति प्रमाण पत्र देने हेतु संबंधित उप वन संरक्षक को उनके अधिकारी क्षेत्र के लिये आदेश दिनांक 6.8.1999 से प्राधिकृत किया गया है।
15	II–राष्ट्रीय उद्यान/वन्य जीव अभ्यारण्य की 10 कि.मी. की परिधि में आने वाले ग्रामों के निवासियों को शस्त्रों का पंजीकरण वन विभाग में करवाया जाना आवश्यक।करना।	वन्य जीव (सुरक्षा) (राजस्थान) नियम 1977 के नियम 25 के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत कर तथा निर्धारित शुल्क रु. 2/- जमा करवाकर पंजीकरण करवाया जावेगा।	सम्बन्धित मण्डल वन अधिकारी/उप वन संरक्षक/उप मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक को उनके अधिकार क्षेत्र के लिये प्राधिकृत किया गया है।

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>कार्य का विवरण</th><th colspan="4">कार्य सम्बन्धी जानकारी एवं प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेजों का विवरण</th><th colspan="2">सम्बन्धित अधिकारी जिसको आवेदन करना है/सम्पर्क करना है।</th></tr>
<tr><td>15</td><td>वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के अन्तर्गत न्यायालय में शिकायत दर्ज करने का अधिकार</td><td colspan="4">वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में किये गये संशोधन (1991) के अन्तर्गत सामान्य नागरिकों द्वारा वन्य जीव अपराध की पुख्ता सूचना होने पर लिखित में प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक/भारत सरकारको नोटिस देगा, 60 दिवस की अवधि बीतने के पश्चात् यदि कार्वाही नहीं होती है तो वह सम्बन्धित न्यायालय में अपनीशिकायत दर्ज करवा सकता है।</td><td colspan="2">प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर।</td></tr>
<tr><td>16</td><td>राष्ट्रीय उद्यान/वन्य जीव अभ्यारण्यों में अथवा उसके बाहर वन्य जीवों द्वारा जनहानि अथवा घायल किये जाने पर तथा राष्ट्रीय उद्यान/वन्य जीव अभ्यारण्य के वन क्षेत्रों के बाहर पालतू मवेशियों को मारे जाने पर।</td><td colspan="4">राष्ट्रीय उद्यान/वन्य जीव अभ्यारण्यों में अथवा उसके बाहर वन्य जीवों द्वारा जनहानी/घायल किये जाने तथा अभ्यारण्यों/राष्ट्रीय उद्यानो केबाहर पालतू मवेशियों को मारे जाने पर निम्नानुसार मुआवजा/एक्सग्रेसिया राशि का भुगतान किये जाने की दरों के निर्धारण राज्यादेश क्रमांक प. 11(1)वन/78 दि. 25.7.2005 से स्वीकृति प्रदान की गई है :–</td><td colspan="2">निम्नांकित शर्तों के अध्याधीन मुआवजा देय होगा :</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>I</td><td>जन श्रेणी</td><td></td><td></td><td>I</td><td>जनहानि के मामले में :</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>1</td><td>जनहानि होने पर</td><td>रु. 1,00,000/–</td><td rowspan="4">सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र जारी होने की शर्त पर</td><td>1</td><td>घटना की सूचना निकटतम पुलिस अधिकारी अथवा वन अधिकारी को निरीक्षण हेतु देनी होगी।</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>2</td><td>स्थायी अयोग्य होने पर</td><td>रु. 50,000/–</td><td>2</td><td>घटना के बारे में राजकीय चिकित्सक का प्रमाण–पत्र</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>3</td><td>अस्थायी अयोग्य होने</td><td>रु. 10,000/–</td><td>3</td><td>प्राण हानि होने पर मृत्यु प्रमाण–पत्र।</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4</td><td>मृत्यु पर विधि मान्य उत्तराधिकारी को ही क्षतिपूर्ति राशि दी जावेगी।</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5</td><td>घायल होने पर चिकित्सकीय प्रमाण–पत्र के आधार पर क्षेतिपूर्ति राशि घायल व्यक्ति को देय होगी।</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6</td><td>यह मुआवजा राशि ऐसे व्यक्ति को दये नहीं होगी, जो हमले के समय वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम 1972 के अन्तर्गत किसी अपराध करने हेतु राष्ट्रीय उद्यान/वन्य जीव अभ्यारण्य में प्रविष्ठ हुआ था अथवा किसी स्थल पर वन्य प्राणी सम्बन्धी किसी नियम विरूद्ध कार्य में लिप्त था/सहायक था।</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>7</td><td>मुआवजा/एक्सग्रेसिया के भुगतान हेतु सम्बन्धित मण्डल वन अधिकारी/उप वन संरक्षक/उप मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक सक्षम होंगे तथा सम्बन्धित क्षेत्रीय वन अधिकारी की अनुशंषा पर ही मुआवजा राशि देय होगी।</td></tr>
</table>

क्र. सं.	कार्य का विवरण	कार्य सम्बन्धी जानकारी एवं प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेजों का विवरण			सम्बन्धित अधिकारी जिसको आवेदन करना है/सम्पर्क करना है।	
		I	पालतू मवेशियों की श्रेणी		II	पशु हानि के मामले में
		1	भैंस व बैल	रु. 5,000/–	1	घटना के 48 घंटे के भीतर निकटतम वन अधिकारी/वनपाल/सहायक वनपाल को सूचना मवेशी मालिक द्वारा दिया जाना आवश्यक होगा।
		2	गाय	रु. 2,000/–	2	घटना स्थल से मवेशी के शव को नहीं हटाये जाने मारे गये मवेशी के शव की जाँच स्थानीय वन अधिकारी द्वारा की जावेगी तथा उसके मांस से किसी प्रकार के विष अथवा घातक पदार्थ तो नहीं मिलाया गया है।
		3	भैस व गाय का बच्चा	रु. 1,000/–	3	राष्ट्रीय उद्यान/वन्य जीव अभ्यारण्य के वन क्षेत्र के बाहर मारे गये पशुओं को ही मुआवजा देय होगा। इस हेतु सक्षम पशु चिकित्सक का मृत्यु प्रमाण–पत्र आवश्यक होगा।
		4	बकरी/बकरा व भेड़	रु. 300/–	4	मुआवजा का भुगतान हेतु प्रधान मण्डल वन अधिकारी/उप वन संरक्षक/उप मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक सक्षम होंगें।
		5	ऊँट	रु. 5,000/–	5	
	वन उपज का निस्तारण					
17	तेन्दू पत्ता आयातक/निर्यातक/बीडी निर्माता के लिये नये पंजीकरण					
		राजस्थान तेन्दू पत्ता (व्यापार का विनियन) अधिनियम 1974 एवं उसके अन्तर्गत बने नियमों के तहत :			मण्डल वन अधिकारी/उप वन संरक्षक	
		1.	पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र प्रारुप छ में पूर्ण रूप से भरा हुआ प्रस्तुत किया जावेगा, जिसमें पंजीकरण का वित्तीय वर्ष दर्शाना होगा।			
		2.	पंजीकरण आवेदन उस मण्डल वन अधिकारी को प्रस्तुत किया जावेगा जहाँ आवेदक का स्थाई निवास हो या कारोबार का मुख्य स्थान स्थित हो			
		3.	निर्धारित पंजीकरण शुल्क दिया जाकर। विद्यमान में पंजीकरण शुल्क राशि 50.00 रूपये है जो चालान से अथवा जी.ए.–55 से मण्डल कार्यालय में अग्रिम रूप से जमा करवा कर आवेदन पत्र के साथ संलग्न करनी होगी।			
		4	साझेदारी की दशा में साझेदारी विलेख की छाया प्रति प्रस्तुत करनी होगी।			
		5	राज्य के बाहर के/का निवासी है तो वह अपना आवेदन राज्य के भीतर किसी भी मण्डल वन अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।			

क्र. सं.	कार्य का विवरण	कार्य सम्बन्धी जानकारी एवं प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेजों का विवरण		सम्बन्धित अधिकारी जिसको आवेदन करना है/सम्पर्क करना है।
18	तेन्दू पत्ता आयातक/निर्यातक/बीड़ी निर्माता के द्वारा कराये गये पंजीकरण का नवीनीकरण	1	पंजीकरण के नवीनीकरण हर वर्ष मार्च के अन्त तक निर्धारित पंजीकरण शुल्क दिया जाकर। विद्यमान में पंजीकरण का नवीनीकरण शुल्क 50.00 रूपये है जो जमा करवाने के बाद करवाया जा सकता है।	मण्डल वन अधिकारी/उप वन संरक्षक (संबंधित)
		2	इसके पश्चात् 15 अप्रैल निर्धारित शास्ती शुल्क दिया जाकर पंजीकरण का नवीनीकरण करवाया जा सकता है। विद्यमान में निर्धारित शास्ती शुल्क 10/– रूपये है।	मण्डल वन अधिकारी/उप वन संरक्षक (संबंधित)
		3	इस अवधि के पश्चात् पंजीकरण का नवीनीकरण नहीं करवाये तो नियम 8(7) के अन्तर्गत वन संरक्षक, प्रादेशिक द्वारा पंजीकरण रद्द किया जा सकता है, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक हो सकती है।	वन संरक्षक, प्रादेशिक / मुख्य वन संरक्षक (संबंधित)
		4	परन्तु यदि सम्बन्धित व्यक्ति उक्त आदेशों से असन्तुष्ट हो तो मुख्य वन संरक्षक (सम्बन्धित) को अपील कर सकेगा।	वन संरक्षक, प्रादेशिक / मुख्य वन संरक्षक (संबंधित)
19	तेन्दू पत्ता आयातक/निर्यातक/बीडी निर्माता के द्वारा कराये गये पंजीकरण प्रमाण–पत्र गुम होने अथवा विकृत हो जाने पर प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु	सक्षम मण्डल वन अधिकारीको आवेदन करनेतथा निर्धारित देनगी राशि दी जाकर प्राप्त की जा सकती है। विद्यमान में राशि 5/– रूपये निर्धारित है।		मण्डल वन अधिकारी/उप वन संरक्षक (संबंधित)
20	तेन्दू पत्ता आयातक/निर्यातक/बीडी निर्माता को पंजीकरण प्रमाण–पत्र जारी होने के पश्चात् प्रस्तुत की जाने वाली स्टॉक विवरणी एवं घोषणा।	1	प्रत्येक पंजीकृत व्यापारियोंको नियम 8(4) के अन्तर्गत प्रारूप (झ) में लेखाओं का रजिस्टर प्रत्येक गोदाम के लिए रखना होगा।	मण्डल वन अधिकारी/उप वन संरक्षक (संबंधित)
		2	प्रत्येक पंजीकृत व्यापारियों को नियम 8(4) के अन्तर्गत प्रारूप 'अ' में स्टॉक की वर्ष में दो विवरणियों 31 मार्च एवं 30 सितम्बर को प्रस्तुत करना होगा।	मण्डल वन अधिकारी/उप वन संरक्षक (संबंधित)
		3	पंजीकरण प्रमाण–पत्र प्राप्त होने पर प्रत्येक पंजीकृत व्यापारी को नियम 8(5) के अन्तर्गत 15 अप्रेमल तक प्रारूप 'ट– में एक घोषणा कारोबार के सम्बन्ध मे मण्डल वन अधिकारी को प्रस्तुत करनी होगी।	मण्डल वन अधिकारी/उप वन संरक्षक (संबंधित)
21	तेन्दू पत्ता खुदरा बिक्री के लिए लाइसेंस प्राप्त करने हेतु।	1	खुदरा बिक्री हेतु लाइसेंस प्रार्थना पत्र प्रारूप 'ड' में सम्बन्धित मण्डल वन अधिकारी के कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा।	मण्डल वन अधिकारी/उप वन संरक्षक (संबंधित)
		2	लाईसेन्स हेतु निर्धारित वार्षिक फीस देय होगी। विद्यमान में शुल्क राशि 2/– रूपयेनिर्धारित है।	मण्डल वन अधिकारी/उप वन संरक्षक (संबंधित)

क्र. सं.	कार्य का विवरण	कार्य सम्बन्धी जानकारी एवं प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेजों का विवरण			सम्बन्धित अधिकारी जिसको आवेदन करना है/सम्पर्क करना है।
	वन विकास				
22	कृषि वानिकी के अन्तर्गत निजी एवं सार्वजनिक/राजकीय भूमि पर वृक्षारोपण हेतु पौधे प्राप्त करने के सम्बन्ध में एवं पौधों की कीमत।	निजी व्यक्तियों के लिऐ कोई दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है, पौधों की निर्धारित कीमत देकर निकटतम पौधशाला से पौधे प्राप्त किये जा सकते है। विद्यमान में पौधों की निम्नांकित कीमत निर्धारित हैं :			पौधशाला प्रभारी
		नोट : वर्तमान में कृषि वानिकी के तहत विवरण हेतु तैयार पौधों की निम्नलिखित दरें निर्धारित है :–			उप वन संरक्षक (सम्बन्धित)
		1	एक वर्ष के पौधे की दर	2.50 रू. प्रति पौधा	मण्डल वन अधिकारी/ उप वन संरक्षक (संबंधित)
		2	पापलर एवं 20 x 20 से.मी. की बडी थैलियों में तैयार किये गये बडे पौधे (टाल प्लांटस की दर	6.00 रू. प्रति पौधा	
		सामुहिक वृक्षारोपण हेतु पौधे निःशुल्क उपलब्ध कराये जाते हैं।			
23	पंचायत भूमि पर वृक्षारोपण	ग्राम पंचायत की आम सभा में पारित इस आशय का प्रस्ताव कि पंचायत भूमि पर वन विभाग को वृक्षारोपण हेतु संभलाई जावेगी एवं पाँच वर्ष के उपरान्त जब यह वृक्षारोपण वापस पंचायत को संभलाया जाता है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पंचायत सुरक्षा समिति द्वारा वहन की जावेगी।			मण्डल वन अधिकारी/उपवन संरक्षक (संबंधित)
		नोट – विभाग द्वारा पंचायत भूमि पर वृक्षारोपण कर पाँच वर्षो तक इसकी संभाल एवं सुरक्षा की जाती है, तत्पश्चात् उक्त वृक्षारोपण के सम्बन्ध में विभाग द्वारा प्रबन्ध योजना बनाकर पंचायत को संभला दिया जाता है एवं प्रबन्ध योजना के अनुसार पंचायत उक्त वृक्षारोपण की सुरक्षा एवं प्रबन्ध करेगी। अन्तिम विदोहन किये जाने पर ग्राम पंचायत एवं राज्य सरकार की आय में नियमानुसार हिस्सेदारी होगी। गांव के ग्रामीणों द्वारा वन सुरक्षा में किये गये प्रयासों एवं उपलब्धियों को वर्णित करते हुए प्रार्थना–पत्र।			मण्डल वन अधिकारी/उपवन संरक्षक (संबंधित)
24	साझा वन प्रबन्ध के अन्तर्गत ग्राम वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति का गठन	नोट – राज्य सरकार द्वारा साझा वन प्रबन्ध हेतु नवीनतम राज्यादेश दिनांक 17.10.2000 को प्रसारित किये गये है। उक्त राज्यादेश में ग्राम वन सुरक्षा समिति के गठन, स्वरूप एवं अन्य समस्त जानकारी उपलब्ध है। इस राज्यादेश की प्रति उप वन संरक्षक/मण्डल वन अधिकारी से प्राप्त की जा सकती है।			

क्र. सं.	कार्य का विवरण	कार्य सम्बन्धी जानकारी एवं प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेजों का विवरण		सम्बन्धित अधिकारी जिसको आवेदन करना है/सम्पर्क करना है।
25	वन विकास तथा निर्माण कार्यों के क्रियान्वयन हेतु पीस रेट कॉन्ट्रेक्ट पद्धति के अन्तर्गत ठेकेदार का पंजीकरण/नवीनीकरण।	1	पंजीकरण प्रतिवर्ष माह फरवरी से अप्रेल की अवधि में किया जाता है।	मण्डल वन अधिकारी/उप वन संरक्षक (संबंधित)
		2	निर्धारित पंजीकरण शुल्क दिया जाकर आवेदन करना होगा। विद्यमान में पंजीकरण शुल्क रूपये 50/– है।	
		निम्नांकित दस्तावेज लगाने आवश्यक है।		
		1	राशन कार्ड की फोटो प्रति।	
		2	हैसियत प्रमाण–पत्र।	
		3	दो पासपोर्ट साईज फोटो।	
		4	पीस रेट, कॉंट्रेक्ट पद्धति के अन्तर्गत सम्बन्धित मण्डल वन अधिकारी/उप वन संरक्षक द्वारा विज्ञापन देने पर पंजीकृत ठेकेदार कार्य करने की निविदा/सहमति दे सकता है।	
		5	पंजीकरण का निर्धारित नवीनीकरण शुल्क दिया जाकर। विद्यमान में नवीनीकरण शुल्क रू 20/– है तथा माह फरवरी से अप्रैल के मध्य कराया जा सकता है।	
		नियम एवं शर्तो सम्बन्धी विस्तृत जानकारी सम्बन्धित मण्डल वन अधिकारी/उप वन संरक्षक से की जा सकती है।		
26	स्वयं सेवी संस्थाओं की वृक्षारोपण/ साझा वन प्रबन्ध में भूमिका	केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय वनीकरण योजनान्तर्गत पौधे तैयारी, वृक्षारोपण, भू एवं जल संरक्षण कार्य, चारा व ईधन विकास एवं जागरूकता, प्रशिक्षण एवं प्रसार कार्यो मे शत प्रतिशत सहायता प्राप्ति के लिये गैर सरकारी संस्थाओं को–		मण्डल वन अधिकारी/उप वन संरक्षक (संबंधित)
		–विशेष योजना निर्धारित प्रपत्र उप वन संरक्षक/मण्डल वन अधिकारी कार्यालय से प्राप्त कर बाद पूर्ति दो प्रतियो में सम्बन्धित उप वन संरक्षक/मण्डल वन अधिकारी को प्रस्तुत करना है।		
		–आवेदक संस्था को पर्यावरण एवं इससे सम्बन्धित क्षेत्र में तीन वर्षका अनुभव आवश्यक है।		
		परीक्षण उपरांत परिपूर्ण प्रस्ताव प्रतिवर्ष 30 सितम्बर तक अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) की टिप्पणी सहित भारत सरकार तक पहुचाना आवश्यक है।		
27	वन अपराधों के प्रावधान	1	आरक्षित वन क्षेत्र में वन अपराध प्रकरण राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 26 के अन्तर्गत दर्ज किये जाते हैं सजा–जुर्माना रू. 500/– तक या जेल 6 माह तक या दोनों।	क्षेत्रीय वन अधिकारी/सहायक वन संरक्षक/मण्डल वन अधिकारी/उप वन संरक्षक (संबंधित)

क्र. सं.	कार्य का विवरण	कार्य सम्बन्धी जानकारी एवं प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेजों का विवरण		सम्बन्धित अधिकारी जिसको आवेदन करना है/सम्पर्क करना है।
		2	रक्षित वन क्षेत्र में वन अपराध प्रकरण राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 33 के अन्तर्गत दर्ज किये जाते हैं। सजा–जुर्माना रू 500/– तक या जेल 6 माह तक या दोनों।	
		3	वन अपराध प्रकरण में सर्वप्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) संबंधित वनापल द्वारा दर्ज की जाती है।	
		A	यदि वन अपराध सिर बोझा (Head Load) से सम्बन्धित है अथवा चराई से सम्बन्धित है तो अपराध को शमन (Compound) करने का अधिकार क्षेत्रीय वन अधिकारी को है।	
		b	यदि वन अपराध में पशु चलित वाहन का उपयोग किया जाता है तो अपराध को शमन (Compound) करने का अधिकार उप वन संरक्षक/मण्डल वन अधि. को है।	
		C	यदि वन अपराध में यांत्रिक वाहन का उपयोग किया गया है तो अपराध को शमन (Compound) करने का अधिकार उप वन संरक्षक/मण्डल वन अधि. को है।	
		F	वन भूमि पर अतिक्रमण के मामलों में भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत उप वन संरक्षक/सहायक वन संरक्षक द्वारा प्रकरणों में सुनवाई कर जुर्माना बेदखली का फैसला दिया जाता है।	
28	सूचना का अधिकार नियम 2005 इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम 'सूचना का अधिकार अधिनियम 2005' है। उक्त अधिनियम दिनांक 15.6.2005 से प्रभावी हुआ। उक्त अधिनियम जम्मू व कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू है तथा धारा 2के अनुसार केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा स्थापित, गठित, स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा वित्त पोषित विभाग में निकायों व गैर सरकारी संगठनों से सूचना मांगी जा सकती है।	सूचना के अधिकार नियम 2005 अधिनियम की धारा 2 के प्रावधानानन्तर्गत 'सूचना' से अभिप्राय –किसी इलैक्ट्रोनिक रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ई–मेल, सलाह (एडवाईस), प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉग बुक, संविदा, रिपोर्ट, कागजा–पत्र, नमूने, मॉडल, ऑकडो सम्बन्धी ऐसी सूचना सहित जिस तक तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के अधीन लोक प्राधिकारी की पहुंच हो सकती है। किसी रूपमे कोई सामग्री अभिप्रेत है। अभिलेख में निम्नलिखित शम्मिलित है :–		प्रमुख शासन सचिव, गृह (ग्रुप–8) विभाग, राजस्थान, जयपुर के आदेश संख्या प3(25)गृह–6/2006 दिनांक 3.5.2007 के द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं भिाग के अन्य वरिष्ट अधिकारियों को लोक सूचना अधिकारी बनाया गया है जिसके प्रथम अपीलीय अधिकारी शासन सचिव, वन है। इसके अतिरिक्त विभिन्न स्तर के अधिकारियों को प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर केआदेश क्रमांक एफ 3(1)2005/कार्मिक/प्रमुवसं/5269 दिनांक 29.5.2007 के द्वारा सूचना के अधिकारी अधिनियम 2005 की धारा 5 के प्रावधानान्तर्गत वन विभाग के विभिन्न स्तर के अधिकारियों को सहायक लोक सूचना अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारियों के नियुक्त किये जाने के आदेश प्रचलित किये गये हैं जिसको विभागीय वैबसाईट पर देखा जा सकता है। नियुक्त सहायक लोक सूचना अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय में उक्त अधिनियम के तहत कोई भी नागरिक

क्र. सं.	कार्य का विवरण	कार्य सम्बन्धी जानकारी एवं प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेजों का विवरण		सम्बन्धित अधिकारी जिसको आवेदन करना है/सम्पर्क करना है।
				सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन दस रूपये आवेदक शुल्क के साथ (नकद अथवा पोस्टल आर्डर/ड्राफ्ट) आवेदन कर सकता है।
		(क)	कोई दस्तावेज पाण्डुलिपि और फाईल,	
		(ख)	किसी दस्तावेज की कोई माईक्रोफिल्म, माईक्रोफिश या प्रतिकृति, प्रति	
		(ग)	ऐसी माईक्रोफिल्म में सन्नीविष्ट प्रतिबिम्ब या प्रतिबिम्बों का पुनरूत्पादन (चाहे वर्धित रूप में होय या न हो) और	
		(घ)	किसी कम्प्यूटर द्वारा या किसी अन्य युक्ति द्वारा उत्पादित कोई अन्य सामग्री।	
		'सूचना का अधिकार'		
		इस अधिनियम के अधीन पहुंच योग्य सूचना का जो किसी लोक प्राधिकारी द्वारा उसके नियंत्रणाधीन धारित है, अधिकार अभिप्रेत हैं और जिसमें निम्नलिखित का अधिकारी सम्मिलित है–		
		I	कृति दतवेजों, अभिलेखों का निरीक्षण	
		II	दस्तावेजों या अभिलेशो का टिप्पण, उद्धरण या प्रमाणित प्रतिलिपि लेना।	
		III	सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना।	
		IV	डिस्केट, फ्लापी, टेप, विडियों कैसेट के रूप में या किसी अन्य इलैक्ट्रोनिक रीति मेंया प्रिन्ट आउट के माध्यम से सूचना किसी कम्प्यूटर या किसी अन्य युक्ति में भण्डारित है, अभिप्राप्त करना।	
		सूचना के अधिकारी अधिनियम 2005 के नियम 3 के अन्तर्गत सभी नागरिकों को सूचना का अधिकारी होगा।		
		उक्त अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति सम्बन्धित कार्यालय के सहायक लोक सूचना अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी को नकद, डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स चैक के रूप में दस रूपये की आवेदन फीस के साथ डाक द्वारा अथवा व्यक्तिशः आवेदन कर सकता है।		
		अधिनियम के अन्तर्गत सूचना बाबत फीस का प्रावधान:– आवेदन शुल्क रूपये 10रु/–		

क्र. सं.	कार्य का विवरण	कार्य सम्बन्धी जानकारी एवं प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेजों का विवरण	सम्बन्धित अधिकारी जिसको आवेदन करना है/सम्पर्क करना है।
		अभिलेखों के निरीक्षण के लिए :– I प्रथम घण्टे कोई फीस नही II प्रत्येक 15 मिनट या उसके भाग के लिये 5/– III प्रतिलिपि 2/– रू.प्र.पृ. IV प्रतिलिपि बडे आकार की वास्तविक लागत कीमत अथवा प्रभार V डिस्क या फ्लापी फ्लॉपी रू. 50/– प्रति डिस्क/	
		शुल्क राशि नकद/बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चेक यथा भारतीय पोस्टल आर्डर के रूप में जमा करायी जा सकती है।	
		अधिनियम की धारा 4 के अनुसार कार्यालय संबंधि ऐसी सभी सूचना जो आम जन के लिए उपयोगी है, स्व प्रेरणा (Suo Moto) से लोगों को उपलब्ध करानी है तथा एक्ट की धारा 4(4) के अनुसार उक्त सभी जानकारी स्थानीय भाषा और उस क्षेत्र मेसंरचना की अन्य प्रभावी पद्धति को ध्यान में रखतेहुए सूचना पट्टों, समाचार पत्रों, लोक घोषणाओं व मीडिया प्रसारणों, इंटरनेट आदि से जनता को सूचित करना होगा। ,उक्त अधिनियम की धारा 7 के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को अनुरोध प्राप्त होने के 30 दिवस के भीतर उपलब्ध करायेगा तथा यदि मांगी गई सूचना की जानकारी का सम्बन्ध किसी व्यक्ति केजीवन या स्वतत्रंता से है तो 48 घण्टे में सूचना उपलब्ध करानी होगी। अधिनियम की धारा 6 की उप धारा (1) और धारा 7(1) (5) के अधीन विहित फीस युक्तियुक्त होगी और ऐसे व्यक्तियों से जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, जैसा समुचित सरकार द्वारा अवधारित किया जाए, कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी। उक्त उप धारा (5) में किसी बात के होते हुऐ भी, जहां कोई लोक प्राधिकारी उप धारा (1) में विनिर्दिष्ट समय–सीमा का अनुपालन करने में असफल रहता है, वहां सूचना के लिए अनुरोध करने वाले व्यक्ति को प्रभार के बिना सूचना उपबध कराई जायेगी। अधिनियम की धारा 8(1) के अन्तर्गत इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी व्यक्ति को उक्त नियम के ए से जे में उल्लेखित प्रावधानान्तर्गत सूचना देने की	

क्र. सं.	कार्य का विवरण	कार्य सम्बन्धी जानकारी एवं प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेजों का विवरण	सम्बन्धित अधिकारी जिसको आवेदन करना है/सम्पर्क करना है।
		बाध्यता नही होगी।	
		सूचना का अधिकार नियम 2005 धारा 19 के अन्तर्गत अपील:	
		किसी व्यक्ति को उक्त अधिनियम की धारा 7 के अन्तर्गत निर्धारित 30 दिवस की अवधि मे सूचना नहीं दी जाती है अथवा दी गई सूचना में सन्तुष्ट नहीं है तो उक्त अधिनियम की धारा 19 के अनुसार सम्बन्धित विभाग/कार्यालय में नियुक्त अपील अधिकारी को उक्त अवधि की समाप्ति से 30 दिन के भीतर प्रथम अपील की जा सकती है।	
		प्रथम अपील के लिए कोई फीस नही है।	
		प्रथमअपील के बाद भी सूचना प्राप्त नहीं होने पर राज्य सूचना अयोग की द्वितीय अपील की जा सकती है। प्रथम अपील के निस्तारण अथवा प्रथम अपील का जब निर्णय होना था, के 90 दिन के द्वितीय अपील कर सकता है।	
		अधिनियम की धारा 20 (1) के प्रावधान्तर्गत जहा किसी शिकायत या अपील का विनिश्चय करते समय राज्य सूचना आयोग की यह राय है कि यथास्थिति राज्य लाक सूचना अधिकारी ने युक्तियुक्त कारण के बिना सूचना के लिये कोई आवेदन प्राप्त करने से इन्कार किया है या धारा 7 की उप धारा (1) के अधीन सूचना के लिए विनिर्दिष्ट समय के भीतर सूचना नहीं दी है या असद्भावनापूर्वक सूचना के लिए अनुरोध से इन्कार किया है या जानबूझकर गलत, अपूर्ण या भ्रमक सूचना दी है या उस सूचना को नष्ट कर दिया है जो अनुरोध का विषय या किसी रीति सेसूचना देने में बाधा डाली है तो वह ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जब तक आवेदन प्राप्त कियाजाता है या सूचना दी जाती है, दो सौ पचास (रु. 250/–) की शास्ति अधिरोपित करेगा तथापि ऐसी शास्ति की कुल रकम पच्चीस हजार रूपये सेअधिक नहीं होगी। परन्तु यथास्थिति राज्य लोक सूचना अधिकारी पर कोई शास्ति आरोपित किये जाने से पूर्व सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जावेगा। युक्तियुक्त रूप से और तत्परता सेकार्य साबित करानेका भार राज्य लोक सूचना अधिकार पर होगा।	